## न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/2017 जिला दौसा

चौथमल पुत्र किस्तूरचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी लालसोट हाल निवासी ग्रुप एम. आई.जी 13 हाउसिंग बोर्ड पद्यनापुर दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001

अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भूदयाल पुत्र किस्तूरचन्द पुरोहित, सीनीयर एम.आई.जी. 84 हाउसिंग बोर्ड पद्यनापुर दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
2. श्रीमति उषा देवी पत्नि स्व. गिरिराज शंकर पुरोहित, ग्रुप एम.आई.जी. 14 हाउसिंग बोर्ड पद्यनापुर दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
3. वरूण पुत्र स्व. गिरिराज शंकर पुरोहित, ग्रुप एम.आई.जी. 14 हाउसिंग बोर्ड पद्यनापुर दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
4. वैशाली पुत्री स्व. गिरिराज शंकर पुरोहित, ग्रुप एम.आई.जी. 14 हाउसिंग बोर्ड पद्यनापुर दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
5. श्रीमति अल्का देवी पत्नि स्व. उमाशंकर पुरोहित, एम.आई.जी. 528 स्टेडियम के पास, पद्यनापुर हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
6. निशील पुत्र स्व. उमाशंकर पुरोहित, एम.आई.जी. 528 स्टेडियम के पास, पद्यनापुर हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
7. शालिनि पुत्री स्व. उमाशंकर पुरोहित, एम.आई.जी. 528 स्टेडियम के पास, पद्यनापुर हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
8. मिनाली पुत्री स्व. उमाशंकर पुरोहित, एम.आई.जी. 528 स्टेडियम के पास, पद्यनापुर हाउसिंग बोर्ड दुर्ग (छत्तीसगढ) पिन 491001
9. श्रीमति सीता देवी पत्नि श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा, संजय नगर रेल्वे स्टेशन के पास चम्बल मार्ग, मकान नम्बर 407, गली नम्बर 7 कोटा (राज.)
10. श्रीमति तुलसी देवी पत्नि श्री चन्द्र शेखर जोशी, ग्राम संवासा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
11. श्रीमति राजेश्वरी देवी पत्नि श्री जयदेव शर्मा, निवासी मै. बंशीधर जयदेव शर्मा पैट्रोल पम्प रेल्वे स्टेशन के सामने, बीकानेर (राज.)
12. श्रीमति गीतादेवी पत्नि श्री गिरधारी लाल शर्मा, निवासी रघुवीर बिहार कॉलोनी ,महारानी फार्म डालडा फैक्ट्री के पास, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय [illegible] जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय अति. जिला कलक्ट्र दौसा दिनांक 25.7.2017

उपास्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 29.1.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 25.7.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई थी । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 2174, 2177, 2218, 2223, 2225, 2237, 2238, 2247, 2248, 2268, 2275, 2276, 2277 कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा में से 2/3 हिस्से का खातेदार किस्तूरचन्द पुरोहित था । उक्त भूमि के संबंध में शम्भू लाल पुत्र स्व. श्री किस्तूरचन्द पुरोहित ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें निर्णय/ डिक्री दिनांक 14.7.2015 को पारित किया कि आराजी खसरा नम्बर 2174, 2177, 2218, 2223, 2225, 2237, 2238, 2247, 2248, 2268, 2275, 2276, 2277 कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा वाके कस्वा लालसोट जिला दौसा के 2/3 हिस्से के खातेदार किस्तूरचन्द पुत्र मन्ना लाल पुरोहित जाति ब्राह्मण के बजाय उसके विधिक वारिसान शम्भु लाल, उषा पत्नि गिरजा शंकर , वेशाली पुत्री गिरजाशंकर , वरूण पुत्र गिरजाशंकर , अल्का पत्नि उमाशंकर , शालिनी, मिलानी पुत्रियान उमाशंकर , सीता, तुलसी, राजेश्वरी, गीता पुत्रियान किस्तूरचन्द पुरोहित को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं प्रतिवादी तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया गया कि डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें ।

चिन्हा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 14.7.2015 की पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4243 दिनांक 17.7.2015 को स्वीकृत किया गया , जिससे व्यथित होकर खातेदार चौथमल पुत्र किस्तूरचन्द द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जिस पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.7.2017 पारित किया कि – तहसीलदार लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4243 दिनांक 17.7.2015 न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 14.7.2015 एवं डिकी की पालना में खोला गया है । तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वयं वारिसान का निर्धारण करते हुए आदेश पारित कर नामांतरकरण खोले जाने पर नामांतरकरण के विरूद्ध

अपील इस न्यायालय में पोषणीय थी । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 14.7.2015 के विरूद्ध अपने हक निर्धारित करवाने हेतु सक्षम अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है । अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जाना व्यक्त किया है जिनका निर्णय होने पर प्रश्नगत नामांतरकरण प्रभावशील होगा । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है , जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट चौथमल पुत्र किस्तुरचन्द द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 25.7.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 12 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिस निर्णय एवं डिक्री के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया गया है उसमें अपीलान्ट चौथमल पक्षकार नहीं होने से उप खण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री चौथमल अपीलान्ट पर प्रभावकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह अभिमत व्यक्त किया की न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोंडन्ट्स को खातेदार किस्तूरचन्द का उत्तराधिकारी घोषित किया है , के संबंध में उनका कहना था कि राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण को उत्तराधिकार से विलग करने अथवा उत्तराधिकार तय करने का अधिकार नहीं है । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालयों में वाद व अपील विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में वाद व अपील के विचाराधीन रहते हुये नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही नहीं हो सकती । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह विवेचन किया है कि चौथमल गौद चला गया ऐसी स्थिति में उसे किस्तुरचन्द का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि चौथमल किस्तुरचन्द का ज्येष्ठ पुत्र है एवं ज्येष्ठ पुत्र किसी के दत्तक नहीं हो सकता । दत्तक होने या नहीं होने का प्रश्न राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है । उनका यह भी कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स एवं अपीलान्ट के बीच स्व. किस्तुरचन्द की वसियत के संबंध में सिविल न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ) में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें स्व. किस्तुरचन्द के नाम से प्रत्यर्थी संख्या 1 शम्भू लाल द्वारा तैयार कूटरचित वसियत को न्यायालय द्वारा मान्य नहीं की गई है । उनका कहना था कि तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण खातेदार किस्तुरचन्द के उत्तराधिकारीगण की जॉच किये बिना तस्दीक करने से अपीलान्ट के हक व अधिकार प्रभावित हुये हैं । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 भूमि

को विक्रय कर अनुचित लाभ उठाना चाहता है इसलिये उसने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कराया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्रश्नगत नामांतरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में तस्दीक किया गया है वह विधिक रूप से तब तक निरस्त नहीं हो सकता जब तक उप खण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री समक्ष न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते । अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रश्नगत नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय व डिक्री की पालना में खोले जाने से अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवादित भूमि का खातेदार किस्तूरचन्द पुरोहित था । उक्त भूमि के संबंध में शम्भू लाल पुत्र स्व. श्री किस्तूरचन्द पुरोहित का वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा के निर्णय/ डिक्री दिनांक 14.7.2015 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2174, 2177, 2218, 2223, 2225, 2237, 2238, 2247, 2248, 2268, 2275, 2276, 2277 कुल किता 13 कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट जिला दौसा के 2/3 हिस्से के खातेदार किस्तूरचन्द पुत्र मन्ना लाल पुरोहित जाति ब्राह्मण के बजाय उसके विधिक वारिसान शम्भु लाल, उषा पत्नि गिरजा शंकर , वेशाली पुत्री गिरजाशंकर , वरूण पुत्र गिरजाशंकर , अल्का पत्नि उमाशंकर , शालिनी, मिलानी पुत्रियान उमाशंकर , सीता, तुलसी, राजेश्वरी, गीता पुत्रियान किस्तूरचन्द पुरोहित को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं प्रतिवादी तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया गया कि डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें ,जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4243 दिनांक 17.7.2015 को स्वीकृत किया गया जिसके खिलाफ चौथमल पुत्र किस्तूरचन्द की अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.7.2017 द्वारा तहसीलदार लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4243 दिनांक 17.7.2015 न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 14.7.2015 एवं डिक्री की पालना में खोला गया है । तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वयं वारिसान का निर्धारण करते हुए आदेश पारित कर नामांतरकरण खोले जाने पर नामांतरकरण के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पोषणीय थी । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 14.7.2015 के विरूद्ध अपने हक निर्धारित करवाने हेतु सक्षम अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

सकती है । अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जाना व्यक्त किया है जिनका निर्णय होने पर प्रश्नगत नामांतरकरण प्रभावशील होगा । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट ने निर्णय दिनांक 14.7.2015 एवं डिक्री पारित कर विवादित भूमि के खातेदार किस्तूरचन्द पुत्र मन्ना लाल पुरोहित जाति ब्राह्मण के बजाय उसके विधिक वारिसान शम्भु लाल, उषा पत्नि गिरजा शंकर , वेशाली पुत्री गिरजा शंकर , वरूण पुत्र गिरजाशंकर , अल्का पत्नि उमाशंकर , शालिनी, मिलानी पुत्रियान उमाशंकर, सीता, तुलसी, राजेश्वरी, गीता पुत्रियान किस्तूरचन्द पुरोहित को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया , जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 4243 दिनांक 17.7.2015 को स्वीकृत किया है । हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण उप खण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2015 की अनुपालना में तस्दीक किया है , जो तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक उप खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री दिनांक 14.7.2015 सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते । अपीलान्ट को उप खण्ड अधिकारी के निर्णय/डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर विवादित भूमि में अपने अधिकारों का निर्धारण कराना चाहिये । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.7.2017 से अपीलान्ट की अपील भी इस आधार पर खारिज की है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के निर्णय दिनांक 14.7.2015 के विरूद्ध अपने हक निर्धारित करवाने हेतु सक्षम अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है । अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जाना व्यक्त किया है जिनका निर्णय होने पर प्रश्नगत नामांतरकरण प्रभावशील होगा । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन निर्णय अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 25.7.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं विधिक नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य हे । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर